

प्रपत्र - "ख"

वित्त विभाग के संकल्प सं० 5207 दि० 14. 8. 2002 के अनुसार सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना १९०सी०पी० का लाभ देने के संबंध में ।

जांच पत्र

1. सरकारी सेवक का नाम
2. सरकारी सेवक का पदनाम एवं वित्त विभाग के संकल्प सं. 660 दि. 8. 2. 99 के अनुसार वर्तमान वेतनमान -
3. विभाग, कार्यालय का नाम, पता
4. सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति का पदनाम-
5. नियमित नियुक्ति की तिथि
कार्यभारित स्थापना, श्रमपुस्त, दैनिक वेतनभोगी आदि को छोड़कर
6. दि० 1.4.64, 01.01.71, 01.04.81, 01.01.96 को स्वीकृत वेतनमान एवं वेतन का प्रक्रम
7. प्रथम/द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिये जाने की तिथि को मूल नियमित सेवा अवधि
8. जिस पद पर प्रथम नियुक्ति हुई थी उसके लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली बनी हुई है या नहीं
9. यदि भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली बनी हुई है तो नियमावली के अनुसार मूल कोटि के पदसे उच्चतर संवर्गीय पद का पदनाम, संकल्प सं. 660 दि. 8. 2. 99 के द्वारा उच्चतर संवर्गीय पदों के लिए स्वीकृत वेतनमान-
10. यदि भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली नहीं बनी है तो दि० 14. 8. 2002 को वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प की अनुसूची-1 के अनुसार अनुमान्य प्रथम, द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए अनुमान्य वेतनमान -
11. प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्गीय प्रोन्नति का लाभ मिला है या नहीं । यदि मिला है तो प्रोन्नत पद का पदनाम वेतनमान प्रोन्नति दिये जानी की तिथि-
12. दिनांक 01.01.96 के वेतन का सत्यापन सक्रम स्तर से हुआ है या नहीं -